# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :–67/2023 तारीख दायर 4/4/23

रघुनाथ पुत्र मोड़ा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.........................प्रार्थी

**बनाम**

1. भूरालाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कन्हैयालाल पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 – 128 रा0ले0रे0एक्ट**

**–: आदेश :–**

दिनांक 26/4/23

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक **श्री मुकेश कुमार धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि **मौजा ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 64 पर अंकित आराजी संख्या 105 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि** है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2074–2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू–अभिलेख निरीक्षक उमाजी **का खेड़ा** को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर **मौजा ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 64 पर अंकित आराजी संख्या 105 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि** बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ, जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)



Scanned with CamScanner

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या –67/2023 तारीख दायर 4/4/23

प्रेषिति :–

तहसीलदार
बिजौलियाँ

विषय :–प्रकरण संख्या 67/ 2023 पत्थरगढ़ी बाबत्।

रघुनाथ पुत्र मोड़ा जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....................प्रार्थी

**बनाम**

1. भूरालाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. मदनलाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)
3. कन्हैयालाल पुत्र कजोड़ जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी सदारामजी का खेड़ा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)

...............विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मैं आदेश होकर लेख है जाकर **मौजा ग्राम देवगढ़ पटवार हल्का गणेशपुरा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 64 पर अंकित आराजी संख्या 105 रकबा 1.0198 हैक्टेयर भूमि** की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढ़ी की जावें। मौके पर पत्थरगढ़ी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढ़ी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक **उमाजी का खेड़ा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढ़ी करने से पुर्व पड़ोसी एंव विपक्षीगणो को सुचित करे। कमीशनर फीस 500/- रूपये बवत पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण अदा करेगे

पत्थरगढ़ी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी बिजौलियाँ (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner